

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठाधीन अधिकारी- विकारा पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 30/2020 (2020/00090)

दर्ज दिनांक 17.03.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अन्याय

1. रतनलाल पिता भंवर लाल शर्मा निवासी मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

--प्रार्थी

बनाम

1. शांतिलाल पिता बालुराम शर्मा
2. शंकरलाल पिता हिरालाल शर्मा
3. जगदीश चन्द्र पिता उदयलाल शर्मा
4. गोपाल लाल पिता सोहन लाल शर्मा
5. पप्पू पिता बन्सी लाल शर्मा
6. मंजू पत्नि पप्पू शर्मा

सर्व निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

7. नन्दराम पिता अमरलाल दरोगा
8. किशन पिता काशीराम दरोगा
9. गोपाल पिता भेरूलाल शर्मा

सर्व निवासी मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

--विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री महेश दाधीच

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-07.09.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम मेहन्द्रगढ़ पटवार हल्का मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 3496 रकबा 2.23 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 496 पर रिधत हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 3 लगायत 8 बावजूद अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षी संख्या 1, 2 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता ने कोई दाद नहीं चाही। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

1.

उप-खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मेहन्द्रगढ़ पटवार हल्का मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 3496 रकबा 2.23 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 496 पर रिथत हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 750/- (सात सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 750/- (सात सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (सी.सा.डा.)